.न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 43/2020

प्रार्थी :–

आसाराम पुत्र घासीराम
जाति–जाट, निवासी मेरवास तहसील जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. रामेश्वर पुत्र जेताराम
2. बस्तीराम पुत्र कुनाराम
   जातियान–जाट, निवासीगण–मेरवास तहसील जायल जिला–नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

1. अधिवक्ता श्री मुन्नीलाल कड़वासरा, प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका अप्रार्थी सं. 1 की ओर से।
3. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका अप्रार्थी सं. 2 की ओर से।
4. अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 08/7/2024

– : : आदेश : : –

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खेत खसरा नं. 208 रकबा 8.01 बीघा मौजा मेरवास तहसील जायल में स्थित है। प्रार्थी के खेत के चिपते ही पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नं. 209 रकबा 8 बीघा आया हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वी आम कटाणी रास्ता ग्राम मेरवास से तरनाऊ जाने वाली डामर सड़क आई हुई है। इस खेताय के अलावा प्रार्थी के अन्य कोई कटाणी रास्ता कम दूरी व नजदीक में नहीं लगता है। अप्रार्थी संख्या 1 के सिवाय अन्य किसी तरफ से इस कटाणी रास्ते के अलावा कोई नजदीकी कटाणी रास्ता नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी का आना जाना बंद दिया है तथा प्रार्थी का खेत में आना जाना नहीं हो रहा है तथा बिना खेत में प्रवेश किये खेती कार्य किया जाना संभव नही है।

प्रार्थी स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 208 में अप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नं. 209 में से प्रचलित 12 फीट चौड़ाई के रास्ता से ही कृषि कार्य करने हेतु आता जाता रहा है, परन्तु अब अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थी का उक्त खेताय में से आना जाना बंद कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी का खेत में बुआई नहीं की जा सकी।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

08/7/2024

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी को अपने खेत खसरा नं. 208 में कृषि कार्य हेतु आने जाने तथा कृषि संसाधन लाने व ले जाने हेतु संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क "ए से बी" कटाणी रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार जायल को दिये जाने की इस्तदुआ प्रार्थी द्वारा चाही गई जिसके एवज में नियमानुसार प्रतिफल राशि अदा करने हेतु प्रार्थी राहमत है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका, ने अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से व अधिवक्ता श्री श्री बस्तीराम ढाका ने पैरवी हेतु वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 तहसीलदार जायल को हस्तगस्त प्रकरण में मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई, जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट भू. अ. निरीक्षक मार्फत तहसीलदार जायल के जरिये पत्रांक 1371 दिनांक 3003.2021 प्राप्त हुई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते की जगह/सींव पर मौके पर रास्ता चालू नहीं होना रिपोर्ट में अंकित है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ता भी मौके पर बंद होना साथ ही प्रार्थी के खेत खसरा नं. 208 में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता नजदीक दूरी का अन्य नहीं होना अंकित किया है। इसी प्रकार प्रस्तावित रास्ते की भूमि 0.0494 हैक्टेयर के लिए प्रतिकर राशि डीएलसी दर के अनुसार 11964 रू. आंकी गई।

वकील अप्रार्थीगण संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र के संबंध में जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्ति पेश करते हुये प्रार्थीगण के आंशिक पैराज स्वीकार करते हुये अवशेष पैराज बनावटी, मनगढ़त होना बताया साथ ही अभिकथन किया कि प्रार्थी के खेत चिपते ही पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का खेत खसरा नं. 209 भी आया हुआ है अप्रार्थी संख्या 1 रामेश्वर के पूर्वी तरफ आम कटाणी रास्ता मेरवास से तरनाउ जाने वाली डामर सड़क भी आई हुई प्रार्थी के खेत की सींव पास वर्षो पुराना कदीमी रास्ता आता जाता रहा है ओर यहीं प्रार्थी के खेत का एक मात्र नजदीकी रास्ता है अप्रार्थी के खेत में से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के पक्की दीवार वर्षो पुरानी निर्मित है। इसी प्रकार प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता गांव से पश्चिमी दिशा में चलने वाले रास्ते से होता हुआ खसरा नं. 477/209 की पश्चिमी सींव के पास होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नं. 208 तक आया हुआ है, जो सीधा है व किसी भी खेताय का कोई टूकड़े नहीं होकर सींव से ही अपने खेत तक जाने का सुगम रास्ता है यह रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता है, धारा 251क आर.टी. एक्ट के निकटतम कटाणी रास्ते से रास्ता दियां जाने का प्रावधान है। इसलिए प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी को केवल तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि प्रार्थी ने पूर्व में भी इस

Scanned with CamScanner

खेत के रास्ता बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज हो चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रा.पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के समस्त तथ्य सही नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थना पत्र में वर्णित खेत खसरा नं. 208 में 1/2 भाग का सहखातेदार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के सहखातेदारी के खेत खसरा नं. 208 के पूर्वी तरफ चिपता खसरा नं. 209 आया है, जिसके पूर्वी तरफ कटाणी रास्ता है, इसी प्रकार यह प्रार्थी का यह अभिकथन भी सही है कि मुतदाविया खेत खसरा नं. 208 के कोई कटाणी रास्ता नहीं है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251क आर.टी.एक्ट 1955 स्वीकार किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 2 को किसी प्रकार उज्र आपत्ति नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग के तहत आते है जिनमें संबंधित पक्षकार को सूचित किया जाना तथा संबंधित भू.अ. निरीक्षक से मौका स्थिति की रिपोर्ट अपेक्षित होती है। प्रकरण हाजा में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रारंभिक आपत्ति/प्रार्थना पत्र का जवाब एवं मौका स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकुलाय की सहमति पर प्रकरण हाजा में बहस अन्तिम हेतु तारीख पेशी नियत की गई।

नियत तारीख पेशी पर बहस वकुलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज का पुनः दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी, कब्जा सुदा खेत खसरा नं. 208 ग्राम मेरवास में कृषि कार्य प्रयोजनार्थ स्थित है, जिसमें आने आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को कृषि कार्य के लिए आने जाने, आवश्यक संसाधन, पशु इत्यादि लाने व ले जाने के लिए रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम कटाणी रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र के उक्त तथ्यों को अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी सुदा खेत खसरा नं. 208 ग्राम मेरवारा की पूर्वी तरफ की सींव माठ पर माफिक नजरी नक्शानुसार 12 फीट चौड़ाई में कटाणी रास्ता जो ग्राम तरनाउ से मेरवास जाने वाली डामर सड़क के लगता है, तक स्वीकृत व घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिसके एवज में अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि नियमानुसार (डी.एल.सी. दर) भुगतान हेतु प्रार्थी सहमत है।

वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस दलीलें पेश करते हुये हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों/पैराज का खण्डन करते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढ़त तथा गलत होने से अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी प्रस्तावित

सहायक कलक्टर
(उप.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी को केवल तंग व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है क्योंकि प्रार्थी ने पूर्व में भी इस खेत के रास्ता बाबत् एक प्रार्थना पत्र पेश किया था जो खारिज हो चुका है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत में आने जाने हेतु उत्तरी दिशा में प्रार्थी के खेत की पश्चिमी सींव के पास वर्षो पुराना कदीमी रास्ता आता जाता रहा है ओर यहीं से प्रार्थी आना जाना करता रहा है तथा प्रार्थी के खेत का एक मात्र नजदीकी रास्ता भी यही है अप्रार्थी संख्या 1 के खेत में से कभी कोई रास्ता नहीं है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 के खेत के पक्की दीवार वर्षो पुरानी निर्मित है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए सबसे नजदीकी रास्ता गांव से पश्चिमी दिशा में चलने वाले रास्ते से होता हुआ खसरा नं. 477/209 की पश्चिमी सींव के पास से है, जो कि प्रार्थी के खेत तक जाने का सुगम रास्ता है यह रास्ता सबसे कम दूरी का रास्ता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का मिथ्या, गलत मनगढ़त तथा बनावटी तथ्य पेश करने के कारण काबिले खारिज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जा खर्चा सहित खारिज किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया। साथ ही वकुलाय द्वारा प्रार्थी एवं अप्रार्थी पक्ष की पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट जो कि मार्फत तहसीलदार जायल से प्राप्त है, का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या 1 पक्ष द्वारा उज्र व दोराने बहस दलीलें दी है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि खसरा नं. 209 पर वर्षो पुरानी पक्की दीवार बनीं हुई तथा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता पश्चिमी दिशा में चलने वाले रास्ते से होता हुआ खसरा नं. 477/209 की पश्चिमी सींव के पास से होता हुआ है, जो कि सीधा व सुगम रास्ता है। परन्तु मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक में उक्त वैकल्पिक रास्ते का अंकन नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता के का भी अंकन भी मौका रिपोर्ट में नहीं है। इसी प्रकार अप्रार्थी का कथन है कि प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर पक्की दीवार बनी हुई है परन्तु मौके पर कच्चा/पक्का निर्माण नहीं होना तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर सुखे पत्थरों की चुनाई की हुई होने का अंकन मौका रिपोर्ट में है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी की उक्त प्रस्तावित रास्ते के लिए सहमति का अंकन किया हुआ है, जिसकी पुष्टि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान से होती है। इसी प्रकार मौका रिपोर्ट में खसरा नं. 209 ग्राम गेरवास तथा खसरा नं. 14 ग्राम धारणा तहसील जायल दोनो अलग-2 ग्रामों की सींव होने से मौके पर नाप चौक किया जाने का जिक्र भी किया हुआ है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पक्षकारान् द्वारा ग्राम–मेरवास खसरा नं. 208 के लिए ग्राम मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 209 में से 12 फीट चौड़ाई में रास्ता हेतु मांग की है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रस्तावित रास्ता की भूमि जो कि ग्राम मेरवास एवं ग्राम धारणा की काकड़ माठ पर होने से ग्राम–धारणा के खसरा नं. 14 व ग्राम मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 209 की काकड़ माठ का नाप चौक किया जाकर रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है, जिसके लिए प्रार्थी/अप्रार्थी पक्ष नियमानुसार तहसीलदार जायल के समक्ष सीमाज्ञान के लिए आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। प्रकरण हाजा में प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों एवं प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेजात से हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ग्राम मेरवास तहसील जायल के खसरा नं. 208 के लिए खसरा नं. 209 में प्रस्तावित रास्ता 12 फीट चौडाई का रास्ता माफिक मौका रिपोर्ट भू.अ. निरीक्षक/नजरी नक्शानुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट क्रमांकः भू.अ.22021/1371 दिनांक 30.03.2021 उक्त निर्णय/आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम–मेरवास तहसील–जायल के खसरा नं. 208 के लिए खसरा नं. 209 में से रास्ते के उपयोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी पक्ष से प्रभावित खातेदार/पक्षकार को वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा प्रतिकर राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। तहसीलदार जायल माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08/7/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

08/7/2024
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner